उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला
(विधि शाखा)

रेभुन्यु रिवीजन (Revenue Revision)वाद सं0 :– 30 / 2012–13

जितेन्द्र प्रताप देव
बनाम
कृष्णदेव सिंह वगै0

अपीलार्थी श्री जितेन्द्र प्रताप देव, पिता–स्व0 नागेन्द्र नाथ देव, ग्राम–कोचेया, थाना–नगर उटॉरी जिला–गढ़वा, वर्त्तमान पता ग्राम–करौंदी थाना–गुमला जिला–गुमला द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रॉंची के विविध अपील वाद सं0–73 / 2012–13 में दिनांक–16.08.2012 को पारित आदेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में Revision Petition समर्पित किया गया है।

अपीलार्थी के Revenue Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता की उपस्थिति पर सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी यह रिवीजन वाद अपर समाहर्त्ता गुमला द्वारा निर्गत पत्रांक–338 (ii) / रा0 दिनांक–25.04.2012 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है जो Administrative Order है जिसका Bihar Tenancy Holding (Maintance Records) Act. 1973 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत रिवीजन नही सुना जा सकता है। अतः इस रिवीजन वाद को खारिज करते हुए अपीलार्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि नये सिरे से अपने तथ्यों को विधि सम्मत तरीका से न्यायिक प्रकिया अपना कर मूल न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगें।

आदेश की प्रति के निम्न अपीलीय न्यायालय एवं संबंधित अंचल अधिकारी को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

16.11.22
उपायुक्त,
गुमला

16.11.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.11.23 16:49:38 +05:30
Location: 192.168.82.106